

प्रेषक,

आशीष तिवारी,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन  
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार  
लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 08 नवम्बर 2017

विषय:- अमरोहा में बदायूँ-बिजनौर मार्ग एन0एच0-51 के किमी0 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की के खसरा सं0-79 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे0 (संषोधित 0.075028 हे0) संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/45/2017/एफसी/69, दिनांक 08-8-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर अपेक्षित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेखों सहित संषोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 25-10-2017 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर संषोधित प्रस्ताव शासन को निम्नवत उपलब्ध कराया गया है:-


Sr.No.	Observation of GOI	Reply/Modification
1-	The Information provided in part I at A-I(vii) regarding estimated cost of Proposal is incorrect.	इस्टीमेट की लागत ठी कर दी गयी है, जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ-01 पर रक्षित है।
2-	Various document of the proposal are without name,date & seal of the signing authorities.	प्रस्ताव में सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षर व मुहर अंकित कर लिया गया है। पेंज सं0 56 पर रक्षित है।
3-	Geo co-ordinates all points (especially area defining curved boundaries) of proposed forest land for diversion has not been provided and needs submission.	प्रस्तावित स्थल का जियो क्वार्डीनेट अंकित करते हुये पेज 56 पर रक्षित है।
4-	NPV calculation for proposed forest land has been done with incorrect rates.	एन0पी0वी0 की समेकित गणना पेज 43 पर रक्षित है।
5-	As per land schedule for calculation of proposed forest land for diversion, the calculation is based on 19.61mts width of stip as per layout plan the same strip with is shown as 19.35mts. this issue needs clarification.	गणना को संषोधित करते हुये पेज 52 पर रक्षित है।
6-	Information regarding working plan prscription at Sr.5 of part II is incorrect.	वर्किंग प्लान के अनुसार सूचना अंकित करते हुये पेज 7 पर रक्षित है।
7-	Estimate of crown density is incorrect and needs conformilty in Hindi and English version of part II of the proposal.	हरियाली का घनत्व अंग्रेजी व हिन्दी में संशोधित करते हुये पेज 7 व 10 पर रक्षित है।

8-	Compensatory afforestation scheme attached with the proposal is not as per guidelines contained in chapter 3 of Handbook of FCA 2004.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण गाइड लाइन के अनुसार संशोधित कर पेज 44 से 47 पर रक्षित है।
9-	Site Inspection report of DFO does not provided legal status proposed forest land for diversion.	स्थलीय निरीक्षण संशोधित कर पेज 37 पर रक्षित है।
10-	Site Suitability Certificate of compensatory afforestation is not proper and needs revision.	संशोधित सूचना प्रस्ताव के पेज 41 पर रक्षित है।
11-	Certificate issued by DM under FRA is without seal and it needs revision to incorporate issues regarding right of others forest dwelling communities etc.	जिलाधिकारी का एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र संशोधित कर पेज 38 पर संलग्न है।
12-	The online proposal contains two compensatory afforestation estimates and both are not as per chapter 3 of Handbook of FCA 2004 and it does not account for cost escalation due to inflation.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण गाइड लाइन के अनुसार संशोधित कर पेज 44 से 47 पर रक्षित है।
13-	Correct part III,IV and V has not been uploaded with the proposal.	ऑन लाइन पार्ट 2 के रिकमंडेशन में डिलिट का आपसन न आने के कारण सही पार्ट 3 अपलोड नहीं किया जा सका है। सही पार्ट 3 ईडीएस में संलग्न कर दिया गया है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 25-10-2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्नक:- यथापरि।**

भवदीय,


  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव

संख्या-2455(1)/14-2-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(मनोज कुमार सिंह)  
अनु सचिव।

## भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है )

अमरोहा में बदायूँ-बिजनौर मार्ग एन0एच0-51 के कि० म० 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की के खसरा सं०-7 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।


Proposalसंख्या-FP/UP/Others./19948/2016

राज्य सरकार की सिफारिशें-वन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1407/14-2-2017-800(148)/2017, दिनांक 27-7-2017 के द्वारा प्रस्ताव पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

26/07/17

हस्ताक्षर

(  )  
( आशीष तिवारी )  
विशेष सचिव  
वन एवं वन्य जीव विभाग  
उ० प्र० शासन।